बिजली चोरी में गारमेंट कंपनी के सीईओ को 2 साल की कैद

- भारी जुर्माना भी लगाया गया

नई दिल्लीः 24 जनवरी, 2011। गारमेंट कंपनी के सीईओ को बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए, उसे दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। यही नहीं, सीईओ पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। वह कुल 38 लाख रूपये बीएसईएस राजधानी को देगा। आरोपी को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह इनमें से 23.29 लाख रूपये का भुगतान एक महीने के भीतर कर दे। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसे छह महीने की साधारण कैद अलग से भुगतनी पड़ेगी। साकेत स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

फैसला सुनाने के बाद, स्पेशल कोर्ट ने गारमेंट कंपनी के सीईओ को 1 लाख रूपये के पर्सनल बॉन्ड व श्योरिटी पर जमानत दे दी, ताकि वह एपीलेट कोर्ट के समक्ष अपील कर सके।

आरोप–प्रत्यारोप, गवाहों के बयान और मौके से लिए गए प्रमाणों के आधार पर स्पेशल कोर्ट में लंबी बहस चली। दोनों पक्षों यानी आरोपी, तथा शिकायतकर्ता बीआरपीएल ने अपना अपना पक्ष रखा। मामले में एक नया मोड़ तब आ गया, जब आरोपी ने कोर्ट से यह कहा कि वह बिजली की चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि जेनरेटर का उपयोग कर बिजली ले रहा था। लेकिन वह इसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। और अदालत ने कहा– *बाहुबली मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आरोपी मुकेश जैन यह साबित करने में बुरी तरह से असफल हो गए हैं कि वे लोग बीएसईएस की तारों से बिजली की सीधी चोरी नहीं कर रहे थे।*

स्पेशल कोर्ट ने आगे कहा– *शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों व प्रमाणों से यह साबित होता है कि बिजली की सीधी चोरी में आरोपी शामिल था। शिकायतकर्ता अपनी बात साबित करने में सफल रहा।*

दरअसल, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की एन्फोर्समेंट टीम ने अक्टूबर 2005 में एफ 1, जवाहर पार्क, खानपुर में छापा मारा था और 50 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी थी। बेसमेंट, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले इस मकान का उपयोग बाहुबली मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ कर रहा था, जहां कपड़े तैयार करने और उनकी सिलाई करने के लिए चोरी की बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। इस कंपनी में 40–50 लोग काम कर रहे थे। चोरी पकड़े जाने पर भारतीय बिजली कानून के मुताबिक, 19.4 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था।

दिंसबर, 2005 में मामला पहुंचा कोर्ट में

दिसंबर, 2005 में बीएसईएस इस मामले को ट्रायल कोर्ट में ले गई। हांलांकि, वहां आरोपी को 25 हजार रूपये के पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी पर जमानत दी गई, लेकिन आरोपी से कहा गया कि वह बीआरपीएल को 10 लाख रूपये का भुगतान करे।

इसके बाद, आरोपी ने कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां 10 लाख रूपये के भुगतान पर स्टे दे दिया गया और आरोपी को 1 लाख रूपये के पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी पर जमानत दे दी गई।

फिर, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बुलाया और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन इस कोर्ट ने आरोपी को एक और नोटिस भेजा, और उसके बाद कोर्ट में लंबी सुनावाई चली। बीआरपीएल ने अपनी ओर से मजबूत तथ्य और सबूत पेश किए और अंततः आरोपी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही, भारी जुर्माना भी किया गया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआपीएल व बीवाईपीएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999415 / 9350130304